न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3471–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 11.11.2002 पारित -व्दारा- कलेक्टर, जिला पन्ना – प्रकरण कमांक 49/2001–02 स्व0निगरानी

हरिनारायण तिवारी पुत्र रामसेवक
निवासी ग्राम पतारा तहसील
गुनौर जिला पन्ना मध्य प्रदेश ———आवेदक
विरूध्द
मध्य प्रदेश शासन ——अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक श्री राजेन्द्र खरे
म0प्र0शासन के पैनल अभिभाषक श्री राजीव गौतम

आदेश

(आज दिनांक 2014 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा प्र0क0 49/2001–02 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11.11.2002 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जो आगे संहिता अंकित है) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी पन्ना ने पत्र दिनांक 8.11.96 भेजकर तहसीलदार गुनोर को निर्देश दिये कि नायव तहसीलदार वृत्त अमानगंज के प्रकरण कमांक 50/अ19/95–96 में आदेश दिनांक 25–9–96 से ग्राम ककरा की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 466 रकबा 1.70 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) का व्यवस्थापन किया है जिसकी जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। तहसीलदार गुनोर ने तदाशय की जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 28–1–1997 अनुविभागीय अधिकारी गुनौर को प्रेषित किया , जिसे अनुविभागीय अधिकारी गुनौर ने टीप दिनांक

11—6—2002 से कलेक्टर पन्ना को प्रेषित किया। कलेक्टर पन्ना ने जांच प्रतिवेदनों के आधार पर आवेदक के विरूद्व प्रकरण कमांक 49/अ19/2001-02 स्वमेव निगरानी पंजीबद्व किया तथा पेशी दिनांक 29—10—2002 नियत कर आवेदक की सुनवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया। सूचना उपरांत आवेदक अनुपस्थित रहा, जिसके कारण कलेक्टर पन्ना ने अंतरिम आदेश दिनांक 29—10—2002 से एकपक्षीय कार्यवाही की तथा अन्य अभिलेखीय तथ्यों के आधार पर आदेश दिनांक 11—1—2002 पारित किया तथा नायब तहसीलदार वृत्त अमानगंज के प्रकरण कमांक 50/अ19/95—96 में आदेश दिनांक 25—9—96 से वादग्रस्त भूमि का किया गया व्यवस्थापन निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर दिनांक 6—9—12 को यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं के कम में आवेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत की है अनावेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो के तथ्यों, लेखी बहस के तथ्यों पर तथा अनावेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि कलेक्टर पन्ना के आदेश दि. 11—11—2002 के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी 6—9—12 को अर्थात लगभग 9 वर्ष 10 माह वाद प्रस्तुत है। कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण में आवेदक को जारी कारण बताओ नोटिस पेशी दिनांक 29—10—02 का संलग्न है जिसके जिसके पीठ पृष्ठ पर तामील कुनिन्दा ने अंकित किया है कि हरिनारायण ने नोटिस लेने से इंकार किया है इसलिये नोटिस चस्पा कर तामील कराया है। जिस पर सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण अंतरिम आदेश दिनांक 29—10—2002 से आवेदक के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, जिसके कारण न्यायदान हेतु निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है।

5/ उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक के हित में 2-10-1984 के पूर्व से ग्राम ककरा की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 466 रकबा 1.70 हैक्टर पर कब्जा होना मानकर व्यवस्थापन किया गया है, किन्तु नायव तहसीलदार के व्यवस्थापन प्रकरण में केवल 1995-96 के कब्जे का आधार लेकर व्यवस्थापन किया है अर्थात 2-10-84 से आवेदक का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नहीं है। आवेदक ग्राम ककरा का निवासी न होकर ग्राम पतारा का निवासी है जिसके कारण उसे ग्राम ककरा की भूमि का व्यवस्थापन कराने की पात्रता नहीं आती है और इन्हीं कारणों से कलेक्टर पन्ना ने वादग्रस्त भूमि के व्यवस्थापन को निरस्त किया है।

6/ तहसीलदार गुनौर के प्रतिवेदन के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक ने भूमिहीन कृषि श्रमिक होना बताते हुये वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम ककरा के व्यवस्थापन की मांग की है, जबकि आवेदक ग्राम पतारा का निवासी है और ग्राम पतारा में आवेदक एंव उसके परिवार में कितनी भूमि है अथवा नही है कोई रिपोर्ट नायव तहसीलदार ने नहीं मंगाई है स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन नियम विरूद्व है।

7/ तहसीलदार गुनौर व्दारा जब नायव तहसीलदार वृत्त अमानगंज के प्रकरण कमांक 50/अ19/95-96 का बारीकी से परीक्षण किया गया, पाया गया है कि मद अ 19 में दायरा पंजी दिनांक 12-7-96 में प्रकरण दर्ज किया गया है किन्तु नायव तहसीलदार अमानगंज के मासिक पत्रक माह 7/1996 में मद अ-19 में कोई प्रकरण दर्ज होना नहीं बताया गया है और यह मासिक पत्रक नायव तहसीलदार व्दारा हस्ताक्षरित है। राजस्व अधिकारियों व्दारा पेशी हेतु तैयार वाद सूची वर्ष 1995-96 में इस प्रकरण की तारीख पेशीयों का अंकन नहीं है। नायव तहसीलदार ने समस्त कार्यवाही नियमों से हटकर करते हुये व्यवस्थापन आदेश दिनांक 25.9.96 पारित किया है नायव तहसीलदार

व्दारा की गई व्यवस्थापन कार्यवाही नियम एंव प्रकिया के विरूद्व है जिसके कारण कलेक्टर पन्ना ने आदेश दिनांक 11.11.2002 से नायव तहसीलदार व्दारा पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक 25-9-95 को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रूटि नहीं की है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः कलेक्टर पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 49/2001-02 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11.11.2002 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर